तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
25-11-2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एंव विप्रार्थी सं. 1 से 5 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उनके राजस्व रिकार्ड में हिस्से अंकित है। जहाँ तक बेचान का प्रश्न है, कोई भी खातेदार अपने रिकार्ड में अंकित हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं कर सकता। लिहाजा दोनों पक्षों को ता फैसला मूलवाद एक दूसरे के कब्जाकाश्त में हस्तक्षेप नहीं करने एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:37:57 IST
Reason: SelfAttested